

### अधिसूचना

वर्तमान सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही इस बात पर बल दिया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय बेरोजगार युवक-युवतियों को अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएँ। वर्तमान में प्रदेश में जो बेरोजगार युवक-युवतियाँ हैं, उनमें से अधिकांश अकुशल श्रेणी में आते हैं, जिसके कारण उनको या तो रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है या बहुत कम आय का रोजगार मिल पाता है। देश एवं प्रदेश में जो सकल उत्पाद दर है, उसका देखते हुए अधिक से अधिक रोजगार की आवश्यकता तकनीकी क्षेत्र में होगी। इस उद्देश्य से यह प्रयास किया जा रहा है कि तकनीकी संस्थाओं का अधिक से अधिक विकास किया जाए जिससे कक्षा 8, 10 एवं 12 पास युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा के अधिक से अधिक साधन प्राप्त हो सकें और शिक्षा रोजगार परक हो सके।

2- वर्तमान में प्रदेश में 258 शासकीय आई0टी0आई0 तथा 232 निजी क्षेत्र के आई0टी0आई0 संचालित हैं। इसी प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 60 राजकीय पॉलीटेक्निक तथा 19 सहायता प्राप्ता पॉलीटेक्निक के अलावा 27 पॉलीटेक्निक निजी क्षेत्र में संचालित हैं। डिग्री सैक्टर के अन्तर्गत वर्तमान में 07 स्वायत्तशासी इंजीनियरिंग कालेज एवं 279 निजी क्षेत्र के संस्थान हैं, जिनमें बी0टेक0, बी0फार्मा0, एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालित हैं। आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक एवं डिग्री सैक्टर में उपलब्ध प्रवेश क्षमता के विपरीत बड़ी मात्रा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में और अधिक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।


3- वर्णित स्थिति में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाए कि वे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में निवेश करें जिससे शीघ्र ही अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा के साधन उपलब्ध हो सकें। इस उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित नीति बनाई गयी है, तत्क्रम में "टर्म्स ऑफ रिफरन्स" बनाया गया है जिसके अनुसार निम्न कार्यवाही की जाएगी-

1. प्रदेश में एक आई0आई0टी0 स्तर का इंजीनियरिंग कालेज और एक आई0आई0एस0सी0 स्तर का इंजीनियरिंग कालेज निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता में खोला जाए।
2. पिछड़े क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज को निजी क्षेत्र की सहभागिता में स्थापित किया जाए।
3. प्रदेश में 50 नए पॉलीटेक्निक स्थापित किये जाएंगे जिसमें निजी भागीदारी द्वारा पर्याप्त पूंजी निवेश की सम्भावना है।

4. प्रत्येक विकास खंड में एक आई0टी0आई0 स्थापित करने के उद्देश्य से कुल 250 आई0टी0आई0 प्रस्तावित हैं। इनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नयी संस्थाओं के अलावा वर्तमान में संचालित पॉलीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन एवं विकास के लिये भी निजी क्षेत्र की सहभागिता की आवश्यकता है।

4- उपरोक्त कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट की सूची को टर्म्स ऑफ रिफरेन्स द्वारा भेजे गए, जिसके आधार पर न्यूनतम रेंट वाले कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जाएगी।


उपरोक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर प्रदेश की अभियन्त्रण संस्थाओं, पॉलीटेक्निकों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है।

  
(आर्कैड रंजन)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 1811(1)/सोलह-1-2008-14(17)/2008 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ ऑफिसर, मा0 मंत्री-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग।
3. कुलपति, उ0प्र0प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
6. कुलसचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, 3, 4।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(अनिल कुमार बाजपेई)  
अनुसचिव

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ निदेशक,  
पी0पी0पी0सेल,  
प्राविधिक शिक्षा  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ ॥ फरवरी 2009

विषय: पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत दिनांक 11-2-2009 को  
मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों क संबंध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 10-5-2008 को लिये गये निर्णय के संदर्भ में शासन की अधिसूचना संख्या-1811/सोलह-1-2008-14(17)/2008टीसी दिनांक 19-5-2008 के क्रम में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 11-2-2009 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-


- (i) वर्तमान में स्थित संस्थाओं को प्रोजेक्ट से डीलिंग किया जाये।
- (ii) आई0टी0आई0 एवं पालीटेक्निक पृथक्-पृथक् किये जायें। प्रथम चरण में 20 नए पॉलीटेक्निक (संभावित पूंजी निवेश रु0 400.00 करोड़) तथा 60 नए आई0टी0आई0 (संभावित पूंजी निवेश रु0 300.00 करोड़) की स्थापना 10 पृथक्-पृथक् बण्डलों में की जाए तथा पृथक् से 04 इंजीनियरिंग कालेजों (संभावित पूंजी निवेश रु0 240.00 करोड़) की स्थापना (प्रत्येक जोन में एक) की जाए।
- (iii) छोटे बण्डल बनाये जाये एवं तदनुसार नेटवर्थ तथा टर्नओवर रखा जाए।
- (iv) फेजिंग करते हुए पायलट आधार पर स्थापना की जायें।
- (v) वायबिलिटी गैप फण्डिंग किया जाये।
- (vi) भूमि उपलब्धता करायी जाये।
- (vii) वित्तीय काइटेरिया कम किया जाये।
- (viii) कंसेशन पीरियड 30 वर्ष यथावत रहेगा।
- (ix) कंसेशन पीरियड की समाप्ति पर कंसेशनायर की परफार्मेंस एवं अन्य शर्तों के पूर्ण पालन पर "कंसेशन एग्रीमेंट" का रिन्यूवल किया जाय।
- (x) शिक्षण शुल्क का निर्धारण "फी एप्रूवल कमेटी" द्वारा किया जायेगा।

- (xi) आई0आई0टी0 स्तर के 01 संस्थान (संभावित पूंजी निवेश रु0 1000.00 करोड़) एवं आई0आई0एससी0 स्तर के 01 संस्थान (संभावित पूंजी निवेश रु0 800.00 करोड़) की स्थापना बड़े औद्योगिक संस्थानों को आमंत्रित कर 'DPR विधि' के आधार पर चयन किया जाये।
- (xii) "टाप-नॉच" काइटेरिया निर्धारण एवं तदनुसार "DPR विधि" प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन/संस्तुति, डेवलपर चयन हेतु किये जाने के निमित्त उच्च तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि पुराने आर0एफ0पी0, आर0एफ0क्यू0 एवं प्रक्रिया को स्कैप करते हुये उपरोक्त बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का समावेश कर एक स्तरीय आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाही की जाये, जिसके अन्तर्गत एक स्तरीय नये आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0 की फ्लोटिंग, सबमिशन आफ आर0एफ0क्यू0 कम आर0एफ0पी0, शार्ट लिस्टिंग आफ डेवलपर्स आदि, कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, संबंधित कार्यवाहियाँ, पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आलोक रंजन)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, मा0 मंत्री-मण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग।
3. कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. कुलसचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
9. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
10. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1,2 4।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गणेश)  
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आलोक रंजन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पी0पी0पी0सेल,  
प्राविधिक शिक्षा  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ 26 फरवरी 2009

**विषय:** पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत दिनांक 19-2-2009 को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों के संबंध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 10-5-2008 को लिये गये निर्णय के संदर्भ में शासन की अधिसूचना संख्या-1811/सोलह-1-2008-14(17)/2008टीसी दिनांक 19-5-2008, मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 11-2-2009 को सम्पन्न बैठक में शासनादेश संख्या-439/16-प्रा0शि0-3-2009-14(17)/2008, दिनांक 11-2-2009 के क्रम में मा0 मंत्रि परिषद की दिनांक 19-2-2009 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (i) माननीय मंत्रि परिषद के पूर्व निर्णय के क्रम में 20 पालीटेक्निक, 60 आई0टी0आई0 तथा 04 इंजीनियरिंग कालेजों के 24 बन्दल बनाते हुए तैयार की गयी एक स्तरीय आर0एफ0क्यू-आर0एफ0पी0 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही की जाय।
- (ii) डेवलपर्स को इंटीग्रेटेड कैम्पस के आवेदन की सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी।
- (iii) भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ए0आई0सी0टी0/डी0जी0ई0टी0 द्वारा निर्धारित मानक तक डेवलपर्स को उपलब्ध करायी जायेगी। कंसेशन अवधि 30 वर्ष रखने का निर्णय लिया गया, जिस पर कंसेशन अवधि में निश्चित मानदण्डों एवं गुणवत्ता यथा शैक्षिक गुणवत्ता, अवस्थापना विकास, पाठयक्रम की शर्तों को पूर्ण करने पर बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (iv) बिड के साथ बिड सिक्योरिटी की पूर्ण धनराशि जमा करायी जायेगी।
- (v) आपरेशन परफारमेंस सिक्योरिटी यथावत आगणित प्रोजेक्ट कास्ट का 05 प्रतिशत तथा कंस्ट्रक्शन फेज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 01 प्रतिशत यथावत रखी जायेगी।

- (vi) सरकार द्वारा उपलब्ध गयी भूमि मार्टगेज नहीं की जायेगी। बिडर्स द्वारा विकसित किये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर को उनके द्वारा मार्टगेज करने पर सरकार को आपत्ति नहीं होगी।
- (vii) आई0टी0आई0 संस्थाओं के बण्डल का पुर्नगठन जनपदों की समीपता (कन्टीग्युटि) के आधार पर किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।
- (viii) वायबिलिटी गैप फन्डिंग, बिडिंग पैरामीटर रखने का निर्णय लिया गया।
- (ix) संस्था को ए0आई0सी0टी0/डी0जी0ई0टी0 का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात चार समान किशतों में वी0जी0एफ0 ग्रांट 20 प्रतिशत तक की सीमा तक दी जायेगी।
- (x) ऐसे बिडर्स जिनकी सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रदेश/प्रदेशों में है, उनके चयनित होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों/विनियमों के अधीन सम्बद्धता एवं प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में समिति का पंजीकरणहोना। उक्त पंजीकृत सोसाइटी के जनरल बाडी एवं एकजीक्यूटिव बाडी में लीड मम्बर 51 प्रतिशत सदस्य वहीं रहेंगे, जो दोनों में सदस्य होंगे।
- (xi) प्रदेश में आई0आई0टी0 स्तर एवं आई0आई0एस0सी0 स्तर की संस्थाओं की स्थापना-संचालन के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 11-2-2009 द्वारा टाप नाच काइटेरिया के आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर समिति से अपेक्षा की गयी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति, स्तर की संस्थाओं के मापदण्ड तय कर इच्छुक निवेशकों के प्रेजेन्टेशन /डी0पी0आर0 की मापदण्डवार, निवेश पूँजी के पक्ष को भी दर्शाते हुए गुण-दोष के आधार पर समीक्षा कर इच्छुक निवेशकवार स्पष्ट संस्तुति तथा समीक्षात्मक अभिमत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करेगी। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही प्रबन्ध संस्थान तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के संबंध में भी समीक्षात्मक अभिमत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इन संस्थाओं की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विन्हित की गयी भूमि निर्धारित मानकों की सीमा तक सक्षम स्तर से चयनित निवेशकों को निशुल्क अथवा रियायती दरों अथवा लीज पर दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)  
प्रमुख सचिव।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को प्रेषित।

1. स्टाफ ऑफिसर, मा० मंत्रि-मण्डलीय सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग।
3. कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त औद्योगिक विकास, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कुलसचिव, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।
9. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
10. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1,2 4।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गणेश)

विशेष सचिव।